

98 222297153
23/06

60

सम्झी श्रीमान् राज्जव मण्डल म०प्र० ग्वालियर १ म०प्र०



A407 11/06



1- मोहम्मद रिजवान फारुकी तन्व ई. आई. फारुकी ।
2- इमरान फारुकी तन्व ई. आई. फारुकी दोनो निवासी नजीरावाद
सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना १ म०प्र० ----- अमीलान्तगण

बनाम

1- शासन म०प्र० द्वारा उप पंजियक सतना
2- महाप्रबन्धक जिला ब्यापार एवं उद्योग सतना म०प्र० ----- रेषपा० गण

क्रमांक _____
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 23/06 को प्राप्त

द्वितीय अमील बिरुद आदेश आयुक्त रीवा
सम्भाग रीवा म०प्र० प्रकरण क्रमांक 192/0
अमील पारित आदेश दिनांक 6.5.04

मार्कि ऑफ कोर्ट
राज्जव मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

अमीलार्थी निम्न अनुसार अमील प्रस्तुत कर बिनयी है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य
=====

1- यहकि अमीलार्थीगण द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प सतना के प्रकरण क्र०
220 - बी- 105/2001-2002 पारित आदेश दिनांक 22.11.03 के बिरुद
प्रथम अमील अधिस्थ न्यायालय के सम्झी अने अधिवक्ता श्री के० के० सोनी एड०
सतना के माध्यम से जिलाधक्का कार्यालय सतना मे दिनांक 13.2.04 को प्रस्तुत

Rev
Assisted by Shi
W. Sen Jhena

23/06

2 वाजस्य पारित
23/11/06

वाजस्य
महसल ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक -अपील 407/दो/2006 मोहम्मद रिजवान फारुकी/शासन जिला-सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्ता एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-5-2015	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक को कई बार सूचना दी गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं रहे। प्रकरण वर्ष 2006 से लंबित है। आवेदक एवं उनके अभिभाषक दिनांक 20.12.2006 से प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं है। दर्शित परिस्थिति में प्रकरण रूचि न लेने से समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	